सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2017/00148

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंम्बोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 63 / 2017

नारायनसिह पुत्रश्री रामसवरूप जाति किरार निवासी ग्राम किरारपुरा तहसील सैपऊ
– – – – वादी

बनाम

1–सूखा (दोराने दावा फौत) 2–बाबू (दौराने दावा फौत) 2/1–लोंगश्री बेबा बाबू 2/2–लालसिह 2/3–ठाकुरदास पुत्रगण स्व0 बाबू जातिगण बझोला निवासीगण ग्राम विसायतीपुरा 2/4–कमला पुत्री बाबू पत्नी गोलेराम 2/5–ज्ञानदेई पुत्री स्व0 बाबू पत्नी श्यामलाल जातिगण बघेला निवासीगण बरखेडा तहसील सैपऊ 3–डालचंद्र (दौश्राने दावा फौत) 4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ 5–रामबेटी पत्नी रामभरोसी जाति बघेला निवासी विसायतीपुरा तहसील सैपऊ

– – – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,
188 एंव 53 आरटीएक्ट

उपस्थिति – श्री विनोदकुमार भार्गव एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांक 12.09.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में दिनांक 30.09.2015 को वास्ते बटवारा काश्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 65 एंव 69 स्थित वाके ग्राम विसायतीपुरा तहसील सेपऊ का पेश किया । दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नही आये अतः उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 12.04.2001 को दावा वादी प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात का वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य उनके नाम रेकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारो के रिकार्ड मे दर्ज हिस्सो के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2019/554 दिनांक 28.08.2019 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें । तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावैजो का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषको द्वारा मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया । तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित

...रा नम्बरों के वावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है । ऐसी स्थिति में दावा ...दी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम विसायतपुरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

1. नारायनसिह पुत्रश्री रामस्वरूप जाति किरार निवासी किरारपुरा तहसील सैपऊ

क0सं0	ख0नं0	रकवा	किस्म लगान
1.	69/1	0–19	बारानी दोयम 1.42
योग	69/1	0–19	1.42

2. बाबू , सूखा पिसरान गनेशी हिस्सा बराबर कौम गडरिया सा0देह खातेदार

क0सं0	ख0नं0	रकवा	
1.	69/2	0.04	बारानी दोयम 0.30
2.	65	1–14	बारानी दोयम 2.55
योग	2	1–18	2.85

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.09.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(हरिसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ